मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल,मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016
फोन–0755–2430154, फैक्स– 0755–4004137
वेबसाईट : www.mperc. in, ई–मेल : secretary@mperc.nic.in

क्रमांक : मप्रविनिआ / सचिव / 1381 **भोपाल, दिनांकः 18 / 07 / 2025**

/ / विज्ञापन / /

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतदद्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग पदों की पूर्ति हेतु संबंधित वर्ग के आवेदकों से निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पदों के पदनाम, श्रेणी, वेतनमान, वर्ग, पदों की संख्या, आयु तथा शैक्षणिक व अन्य अर्हता आदि संबंधित पद के समक्ष नीचे दर्शाई गई है। उपरोक्त पदों का पदस्थापना का स्थान भोपाल रहेगा।

तालिका क्रमांक–1

क्र	पदनाम	वेतनमान	श्रेणी	पदों की कुल संख्या	दिनांक 01-01-2025 को आयु वर्षों में		वर्ग		
					न्यूनतम	अधिकतम	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	**कम्प्यूटर ऑपरेटर–सह–स्टेनो**	19500-62000/-	**तृतीय श्रेणी**	03	21	45	02*	01	00
2	**वाहन चालक**	19500-62000/-	**तृतीय श्रेणी**	01	21	45	01	00	00
3	**भृत्य / अर्दली**	15500-49000/-	**चतुर्थ श्रेणी**	03	18	45	03**	00	00

* कम्प्यूटर ऑपरेटर–सह–स्टेनो में 02 पद जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं उनके विरूद्ध 01 नंबर पद प्रिमिटिव्स ट्राईब्स (म.प्र. शासन के परिपत्र क्रमांक एफ–6–1 / 2002 / आ.प्र. / एक दिनांक 06 जून, 2018 के अनुसार) के लिए आरक्षित रहेगा।

** भृत्य / अर्दली में 03 पद जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं उनके विरूद्ध 01 नंबर पद प्रिमिटिव्स ट्राईब्स (म.प्र. शासन के परिपत्र क्रमांक एफ–6–1 / 2002 / आ.प्र. / एक दिनांक 06 जून, 2018 के अनुसार) के लिए आरक्षित रहेगा।

उपरोक्त पदों की संख्या घटाई या बढाई जा सकती है। बिना कारण बताए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है। चयन प्रक्रिया के उपरांत प्राप्त चयन सूंची (मेरिट लिस्ट) 1 वर्ष तक वैध रहेगी। बैकलॉग के पदों के अतिरिक्त आरक्षित वर्ग के अन्य पद भी सूची से भरे जा सकते हैं।

1) कम्प्यूटर ऑपरेटर–सह–स्टेनो हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँः–

(क) मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण।

(ख) (1) आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक से 80 श.प्र.मि. से हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र।

अथवा

(2) म.प्र. शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद अथवा मान्यता प्राप्त अन्य संस्था से 80 श.प्र.मि. से हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण–पत्र।

अथवा

(3) अखिल भारतीय तकनीकी परीक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) से मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में डिप्लोमा प्रमाण–पत्र।

अथवा

कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सी.पी.सी.टी.) उत्तीर्ण।

(ग) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. 3-14/3/2010 दिनांक 10-09-2010 में उल्लेखित किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण।

2) वाहन चालक हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँः–

(क) आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।

(ख) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से हल्के मोटर वाहन चलाये जाने का वैध लायसेंस जिसकी अवधि समाप्त नहीं हुई हो।

(ग) हल्के मोटर वाहन चलाने का 5 वर्ष का अनुभव।

3) भृत्य/अर्दली हेतु शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँः–

(क) आठवी परीक्षा उत्तीर्ण।

उपरोक्त तीनों पदों हेतु–अन्य शर्तें मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2012 एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी संशोधन/पुनरीक्षण अनुसार।

आवेदन की अन्य शर्तेंः–

(i) आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(ii) **शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँः–** शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएँ तालिका में दर्शाए अनुसार अनिवार्य हैं।

(iii) **अभ्यर्थी के चयन के संबंध में निरर्हताएँः–** अभ्यर्थी के चयन के संबंध में निरर्हताएँ उपरोक्तानुसार आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध भर्ती विनियम मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें) विनियम, 2012 के विनियम 9 में दर्शाई गई है जो आयोग में भर्ती के संबंध में लागू होगी।

(iv) **परीक्षा/साक्षात्कारः–** उपरोक्त दर्शाये गये पदों पर चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगीः–

<u>तालिका क्रमांक–2</u>

स.क्रं.	**पदनाम**	**चयन का तरीका**		
		कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन परीक्षा	**कौशल आधारित परीक्षा**	**व्यक्तिगत साक्षात्कार**
1	**कम्प्यूटर ऑपरेटर–सह–स्टेनो**	हाँ	हाँ	आयोग द्वारा आवश्यक समझे जाने पर व्यक्तिगत साक्षात्कार कराया जा सकेगा।
2	**वाहन चालक**		हाँ	हाँ
3	**भृत्य/अर्दली**			हाँ

(v) आरक्षणः रिक्त पदों की संख्या तथा पद किस वर्ग हेतु आरक्षित है उपरोक्त तालिका क्रमांक–1 में दर्शाई गई है।

(vi) **आवेदन पत्र–** आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन (iform.mponline.gov.in) के माध्यम से भरा जाना है। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र वेबसाईट iform.mponline.gov.in पर दिनांक **21/07/2025** से ऑनलाईन उपलब्ध होगा। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये iform.mponline पर Authorized Kiosk Link देखें। आवेदन इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं। ऑनलाईन फार्म भरने की प्रक्रिया तथा भुगतान करने की प्रक्रिया iform.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।

(vii) **आवेदन भरने के लिए उपलब्ध होने की तिथि 21/07/2025 (11:00 AM)**

आवेदन करने की अंतिम तिथिः– 04/08/2025 (till 11:59 PM)

आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथिः– 03/08/2025 to 05/08/2025 (till 11:59 PM)

कम्प्यूटर ऑपरेटर–सह–स्टेनो एवं वाहन चालक के पद हेतु कम्प्यूटर आधारित ऑनलाईन परीक्षा/कौशल आधारित परीक्षा/व्यक्तिगत साक्षात्कार दिनांकः– पृथक से सूचित की जाएगी।

भृत्य/अर्दली के पद हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की दिनांकः–

दिनांकः– 18/08/2025

भृत्य/अर्दली के पद हेतु व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र उपलब्ध होने की दिनांकः–

दिनांकः– 25/08/2025

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3 दिनांक 03-11-2012 तथा परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक दिनांक 20-11-2012 परिपत्र क्रमांक 1930/2547/2012/1/3 दिनांक 26-11-2012 तथा परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3 दिनांक 13-01-2016 में दर्शाये अनुसार आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटों का लाभ प्राप्त होगा, किन्तु किसी भी स्थिति में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उक्त तीनों परिपत्र आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ix) जिन उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा उन्हें टिकिट प्रस्तुत करने पर रेल/बस का न्यूनतम किराया भुगतान योग्य होगा।

(x) **आवेदक की नियुक्ति प्रथमत** 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी तथा कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नियमित नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर परिवीक्षा अवधि बढाई जा सकती है तथा परिवीक्षा अवधि की अधिकतम सीमा 2 वर्ष होगी। वर्तमान में आयोग को स्वीकृत समस्त पद अस्थाई प्रकृति के हैं।

(xi) किसी भी विवाद की स्थिति में सचिव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य/बाध्यकारी होगा।

(xii) **आवेदन हेतु शुल्क–** सभी वर्ग के आवेदकों के लिये एम.पी. ऑनलाईन को देय पोर्टल शुल्क रूपये 100 रू (मय जी.एस.टी.) देय होगा।

(xiii) फार्म भरने में किसी भी प्रकार की असुविधा होने अथवा सहायता पाने के लिए एम.पी. ऑनलाईन के हेल्पलाइन नंबर पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक संपर्क किया जा सकेगा। हेल्पलाइन नंबर 0755&6720200, E-mail-contact@mponline.gov.in

आयोग सचिव
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल